झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 08/04/2021 ई०।

13/एम$_2$ –1053/2003– 1893/सी0, विभागीय अधिसूचना सं०–3156, दिनांक–03.06.2016 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु–सह–सेवानिवृति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम–16(3) तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–25013/02/2005– AIS-II, दिनांक–28.06.2012 के आलोक में राज्य के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की सेवा की गहन समीक्षा हेतु गठित रिव्यू कमिटि में प्रधान सचिव स्तर के एक पदाधिकारी सदस्य (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य) के रूप में श्रीमती वंदना दादेल, भा०प्र०से०(1996), प्रधान सचिव, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची को नामित किया जाता है।

2. उक्त मनोनयन पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अनिल कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

13/एम$_2$ –1053/2003– 1893 / राँची, दिनांक– 08/04 /2021 ई०।

प्रतिलिपिः–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (पुलिस-I), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी (पुलिस आधुनिकीकरण), झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची /महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची/ सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/ नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।